(131)

07/08/2020

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक–सीबी / स्था / रा.क.चयन बोर्ड / क.सहा.परीक्षा–2018 / 2020 / दिनांक

आदेश

कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा–2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक–अप किये गये चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग, राज.जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2)प्रसु / अनु–3 / 2020 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा नियुक्ति हेतु इस विभाग / कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर, वित्त विभाग, राज. की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 के शिड्यूल IV के तहत पे मैट्रिक के एल–5 में 14600.00 (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर, निम्नांकित शर्तों पर कार्यग्रहण तिथि से नियुक्त किया जाता हैः–

S. NO.	RANK	ROLL NO.	NAME	FNAME	DOB	CAT	PHOTO
1.	23816	2455248	श्री शिवेन्द्र मीना	श्री बाबूलाल मीना	09-01-1993	ST	
2.	23913	2123940	श्री राजेश मीना	श्री गंगाधर मीना	01-07-1993	ST	

उक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (FIX PAY) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत की जा चुकी है।
3. उक्त नियुक्तियाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11 / एसटी / एससी / ओबीसी / एमबीसी / जाप्रप / सामान्यअवि / 2015 / 54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.(204) आरएंडपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2011 / 68999–69032 दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों / सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परिवीक्षा काल (PROBATION PERIOD) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. 02 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनको कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमित वेतन एवं नियमानुसार उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में योग्यता सूची अनुसार मैरिट क्रमांक से उपरोक्त योग्यता क्रम में रहेगी।
8. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से प्रत्येक पूर्ण मास के आधार पर अनुपातिक आकस्मिक अवकाश देय होगा।
9. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त / नियम / 2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये हो, के अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व में ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रंहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों / परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश / परिपत्र लागू होंगे।
12. संबंधित अभ्यर्थियों की पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12 (6)एफडी / रूल्स / 05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी / रूल्स / 2005 दिनांक दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी / रूल्स / 2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी / रूल्स / 2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी 25565 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

14. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राज. जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(4) वित्त / नियम / 99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राज. चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगें एवं वित्त विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6(5)वित्त / नियम / 99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।

15. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या एफ.7(1)कार्मिक / क–2 / 95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् किसी भी समय 02 से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

16. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

17 अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।

18 अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

19 MBC के अभ्यर्थियों के संबंध में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3469 / 2020 अंकित धायल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 26.02.2020 की पालना में अति.पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सृजित छाया पदों (Shadow Posts) के विरूद्ध उक्त आदेश की पालना में अग्रिम आदेशों तक की गई है।

20 अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50 / –रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन–पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज / सूचना, असत्य / फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवाएँ समाप्त कर सकेंगी।

21 **अभ्यर्थी कार्यग्रहण करने से पूर्व मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे।**

22 क्र.सं. 01 पर अंकित अभ्यर्थी **श्री शिवेन्द्र मीना के अनु.जन जाति प्रमाण–पत्र** क्रमांक 27682 दिनांक 31.08.2016 कार्यालय उपखंड अधिकारी, टोडाभीम, जिला करौली में आवेदक का आधार नं. 847840954442 अंकित है, जो आवेदक के पिता के नाम का है। अभ्यर्थी स्वयं का आधार नं. 495300161052 है। अतः अभ्यर्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण के साथ, स्वयं के आधार नम्बर से जारीशुदा प्रस्तुत करवाया जाना वांछनीय है।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, बीकानेर
दिनांक 05/08/2020

क्रमांक–सीबी / स्था / रा.क.चयन बोर्ड / क.सहा.परीक्षा–2018 / 2020 / 4755-66

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राज. अजमेर
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग, राज. जयपुर
4. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा
5. कोषाधिकारी, बीकानेर
7. उप निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
8. अति.निजी सचिव, जिला कलक्टर, बीकानेर
9. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय हाजा
10. संबंधित अभ्यर्थी श्री...कनिष्ठ सहायक.......................
11. निजी / रक्षित पत्रावली

अति.जिला कलक्टर
(प्रशा.) बीकानेर